

कार्यालय, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

कब्जा प्रमाण-पत्र भूखण्ड

भूखण्ड संख्या 66 श्रेणी 90M2 में 5.50 को
 योजनान्तर्गत पत्रांक 3340 दिनांक 26-02-2010 द्वारा
 श्री / श्रीमती / कुमारी बाबुराम पुत्री सुम्न के
 नाम किश्तों में / स्ववित्तपोषित / नगद भुगतान आधार पर आवंटित किया गया है।

वांछित अनुबन्ध दोनों पक्षों के मध्य दिनांक 29-11-2012 को निष्पादित
 किया गया और इसको डिमाण्ड रजिस्टर में अंकित कर लिया गया है। उपरोक्त भूखण्ड का कब्जा
 आवन्ती को हस्तान्तरित किया जा रहा है। इस भूखण्ड की लम्बाई चौड़ाई का विवरण निम्नवत है:-

भूखण्ड का क्षेत्रफल	वर्गमीटर	सीमाएं
उत्तर	06.00 मीटर	उत्तर श्रीमती सिद्धकुल
दक्षिण	06.00 मीटर	दक्षिण सड़क 9.00 मीटर चौड़ी
पूरब	15.00 मीटर	पूरब सड़क 470-65
पश्चिम	15.00 मीटर	पश्चिम सड़क 470-67

उपरोक्त भूखण्ड जिसका विवरण ऊपर उल्लिखित है, का कब्जा आवन्ती को आज
 दिनांक 06-12-2012 को हस्तान्तरित किया गया।

कब्जा दिया गया

दिनांक 06-12-12 सहित हस्ताक्षर
 अवर अभियन्ता



प्रति हस्ताक्षरित
 (सहायक अभियन्ता)

26/12/10

कब्जा प्राप्त किया।

दिनांक सहित हस्ताक्षर

20/00 7837

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



रु.
15000

पन्द्रह हजार रुपये



INDIA

15000
FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

Rs.
15000

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



इकरारनामा माहैदा बैय (बिना कब्जा)

V.I.D. No. - JJH1698166

बाबूराम
(प्रथम पक्ष)

Pan No. BNSPM0787L

प्रभात मिश्रा
(द्वितीय पक्ष)



NAVNEE JAISWAL A
Reg. .. UP-6476/95
U.L.-2525/04
Tehsil Haridwar



हम कि, बाबूराम पुत्र श्री सुक्कन सिंह निवासी - शान्ति नगर, ऋषिकेश, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) प्रथम पक्ष एवं प्रभात मिश्रा पुत्र श्री ओमशंकर मिश्रा निवासी - एम-73/2, फेस-3, शिवलोक कालोनी, हरिद्वार, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार द्वितीय पक्ष के हैं।

निवेष्टा
बाबूराम

प्रभात मिश्रा



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 697755



2

प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष विदेशी नागरिक/भारतीय मूल का विदेशी नागरिक नहीं है तथा पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल, भूटान का नागरिक भी नहीं है।

विक्रीत सम्पत्ति, शत्रु सम्पत्ति मन्दिर, ट्रस्ट, चर्च, कब्रिस्तान, धार्मिक संस्था की नहीं है।
पृष्ठ 14 क्रमांक 17

स्टाम्प शुल्क 20,100/- रुपये

विदित हो कि निम्नलिखित सम्पत्ति जो कि हर प्रकार के ऋण परिवर्तन आदि के भार से मुक्त है और कहीं पर भी आड-रहन आदि नहीं है। हर प्रकार से पाक-साफ है, जिसका स्वामी व अधिकारी प्रथम पक्ष है। अब प्रथम पक्ष ने निम्न सम्पत्ति का सौदा फरोक्तीगी मुब0 10,00,000/- दस लाख रुपये में आज दिनांक की तारीख में द्वितीय पक्ष से तय किया और द्वितीय पक्ष ने खरीदनी स्वीकार की है। अतः दोनों पक्ष व उनके उत्तराधिकारी निम्न शर्तों के पाबन्द रहेंगे-

1. यह कि प्रथम पक्ष ने मुब0 9,50,000/- नौ लाख पचास हजार रुपये बतौर बुझाना निम्न ब्यौरे से द्वितीय पक्ष से प्राप्त किये और द्वितीय पक्ष ने अदा किये।
2. यह कि रजिस्ट्री आदि का व्यय द्वितीय पक्ष के जिम्मे है।

सिद्धांत
बाबू दाम

मि



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 697756



3

3. यह कि मैं प्रथम पक्ष निम्न सम्पत्ति का बैनामा आज तारीख से 30.11.2017 तक लिख तकमील करके आप द्वितीय पक्ष के नाम पर या जिसके नाम पर आप कहेंगे रजिस्ट्री कर दूंगा शेष मुब0 50,000/- पचास हजार रुपये समय रजिस्ट्री प्राप्त करूंगा और सम्पत्ति पर कब्जा दखल करा दूंगा यदि बैनामा रजिस्ट्री न करूं तो आप द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि न्यायालय द्वारा सम्पत्ति का बैनामा अपने नाम पर या जिसके नाम आप चाहें रजिस्ट्री करा लें, और समस्त हर्जा व खर्चा मुझ प्रथम पक्ष की हर प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति व जात खास हस्ब मर्जी व अख्तयार खुद जिस तौर पर चाहें वसूल कर लें, मुझ प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।
4. यह कि यदि द्वितीय पक्ष ने उक्त अवधि के भीतर शेष रूपये देकर निम्न सम्पत्ति का बैनामा रजिस्ट्री ना कराया तो ऐसी दशा में उक्त बयाना का कुल रुपया जब्त समझा जायेगा और सौदा मंसूख होगा।
5. यह कि उक्त सम्पत्ति पर रजिस्ट्री होने से पूर्व कब्जा प्रथम पक्ष का रहेगा।
6. यह कि वर्णित सम्पत्ति उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 175/18(1)/2007 के अनुपालन में भू अधिनियम की धारा 154/4/1/क के अन्तर्गत 250 वर्गमीटर परिधि में क्रय करना तय पायी है। उत्तरांचल भू-अधिनियम संख्या 29/03 की किसी धारा को कोई उल्लंघन नहीं किया है।

Signature
काबूरम

Signature



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 697757



4

विवरण प्राप्ति मूल्यराशि — प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बतौर बयाना कुल मूल्यराशि नकद प्राप्त कर ली है।

विवरण सम्पत्ति :- आवासीय भूखण्ड संख्या 66 श्रेणी एम0बी0, जिसकी पैमाईश पूरब 15 मीटर, पश्चिम 15 मीटर, उत्तर 6 मीटर, दक्षिण 6 मीटर, क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर है, स्थित — इन्द्रलोक आवासीय योजना, राजस्व ग्राम रावली महदूद एवं ग्राम रानीपुर, (बाहर हदूद) परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार है, जिसके पूरब भूखण्ड सं0 65, पश्चिम भूखण्ड संख्या 67, उत्तर भूमि सिड़कुल, दक्षिण सड़क 9 मीटर चौड़ी है। उक्त भूखण्ड प्रथम पक्ष ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण से द्वारा विक्रय पत्र तारीख 08.11.2012 प्रमाणित 29.11.2012, जिसकी रजिस्ट्री सब रजि0 का0 हरिद्वार में जिल्द 2,449 पृष्ठ 303-326 द.नं. 8,968 पर हुयी है, खरीद किया था। विदित हो कि खसरा नम्बर 800, 800म, 810म, 812, 813म, 814, 815, 879म, राजस्व ग्राम रावली महदूद परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार व भूमि खसरा नं0 20, 21, 22म व 24म, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40म, 41म, 43म, 44, 45, 46 व 50म, 51, 52, 53, 54, 55म, 60, 61, 62म, राजस्व ग्राम रानीपुर, (बाहर हदूद) परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार का दाखिल खारिज दिनांक 18.03.2009 को हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पक्ष में बतौर भू-स्वामित्व राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला आ रहा है। प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु इन्द्रलोक आवासीय योजना का तलपट मानचित्र तैयार कर आवासीय भूखण्ड एवं आवासीय भवन तथा अन्य आवश्यक सुविधायें विकसित की है।

जि० ३०
का० ३०

[Signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 697758



5

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस
बायाँ हाथ प्रथम पक्ष (बाबूराम)



दायाँ हाथ प्रथम पक्ष (बाबूराम)



जि.डी.
प्रकृ.रा.

[Handwritten signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 697759



6

बायाँ हाथ द्वितीय पक्ष (प्रभात मिश्रा)

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठका



दायाँ हाथ द्वितीय पक्ष (प्रभात मिश्रा)

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठका



प्रभात मिश्रा

प्रभात मिश्रा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

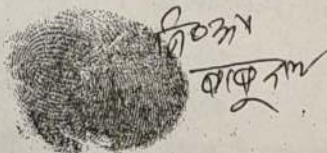
B 900025

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

7



यह दस्तावेज पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात, मालिकाना अधिकार व अन्य पहचान पत्रों के आधार पर अधिवक्ता द्वारा लिखा गया है, जिनका सत्यापन दस्तावेज पर हस्ताक्षरित साक्ष्यों (गवाह) द्वारा किया गया है। यदि उपलब्ध कराये तथ्य, प्रमाण एवं साक्षीगण किसी प्रकार से असत्य पाये जाते हैं, तो उसका उत्तरदायित्व अधिवक्ता (लेखक) का नहीं होगा।



[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

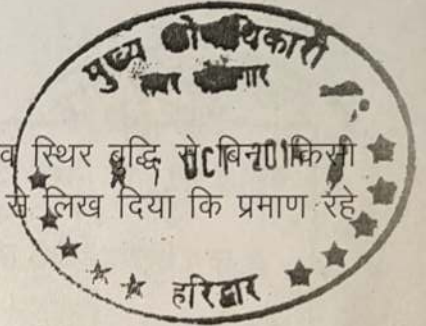
INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

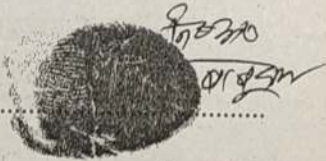
B 900026

8

अतः यह इकरारनामा माहैदाबैय अपनी इच्छा व स्थिर बुद्धि से बिना किसी जोर-दबाव के खूब सोच विचार कर अपनी प्रसन्नता से लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे-

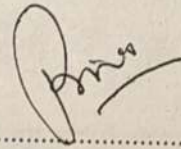


तहरीर तारीख 13.10.2014 ई०



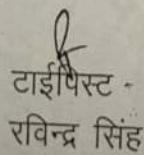
Samar Pal, Smt.

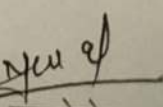
गवाह- समर पाल
पुत्र स्व० श्री लल्लू सिंह
निवासी - शान्ति नगर वनखण्डी
ऋषिकेश, जिला देहरादून।
V.I.D. No. - JGB2317501



Satiash Kumar

गवाह- सतीश कुमार
पुत्र श्री बनारसी लाल
निवासी - ए 46, शिवालिक नगर,
भेल, रानीपुर, हरिद्वार
V.I.D. No. - TPU0131896


टाईपिस्ट -
रविन्द्र सिंह

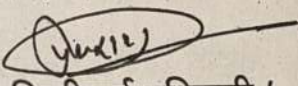
रचियता 
नवनीत जाक्सवाल एडवोकेट
हरिद्वार

Req.No.-IIP-6476/95

36 7-14-50
दिनांक 7-14-50
नाम शाओबो 353
152, विक्रम जायसवाल
स्टाम्प विक्रेता, तहसील हरिद्वार

बही संख्या 1 जिल्द 3,188 के पृष्ठ 1 से 16 पर क्रमांक 7837

पर आज दिनांक 13 Oct 2014 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, हरिद्वार, प्रथम
13 Oct 2014



विक्रय पत्र

75 80 76 91 71 56



NAVNEET

Regd.No.-U
Tehsil Campus

65 30 16 47 36 90



NAVNEET KR.

Regd.No.-UK 5311
Tehsil Campus, Haridwar

विक्रय पत्र	: 11,82,000/-रुपये
स्टाम्प शुल्क हेतु मालियत	: 11,82,000/-रुपये
स्टाम्प शुल्क	: 59,100/-रुपये
विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल	: 90.00 वर्गमीटर,
सर्किल दर	: सर्किल रेट के पृष्ठ 19 क्रमांक नं० 1 (क) 2 के सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार दर 12,500/-रुपये प्रति वर्गमीटर एवं रास्ता 05 मी० होने के कारण 05 प्रतिशत अधिक वृद्धि दर अर्थात् 13,125/-रुपये प्रति वर्गमीटर है।
प्रमुख मार्ग	: सिडकुल बाईपास मार्ग (सलेमपुर चैक पोस्ट से राजा बिस्कुट फैक्ट्री तक) से लगभग 500मी० की दूरी पर स्थित है।
स्थित	: इन्द्रलोक आवासीय योजना ग्राम रावली महदूद एवं ग्राम रानीपुर, परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार बाहर सीमा नगर निगम हरिद्वार ।

सह
जायज

मिनि

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 2785 वर्ष 2018

प्रतिफल रु0 : 1,182,000.00
मालियत रु0 : 1,182,000.00

Sale (Immovable)
Sale Residential Plot

रजिस्ट्रेशन शुल्क
रु0 23,640.00

प्रतिलिपि शुल्क
रु0 20.00

इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क
रु0 260.00

कुल योग
रु0 23,920.00

शब्द लगभग
2,000

श्री प्रभात मिश्रा पुत्र श्री ओमशंकर मिश्रा निवासी एम- ७३/२ फेस-३ शिवलोक
कॉलोनी हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार ने आज दिनांक 02 May 2018 समय मध्य
2PM व 3PM को कार्यालय उपनिबन्धक हरिद्वार, प्रथम में प्रस्तुत किया।

प्रभात मिश्रा

Blamase
उपनिबन्धक

हरिद्वार, प्रथम
02-May-2018

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख में लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री बाबूराम
पुत्र श्री सुखन सिंह निवासी शांति नगर ऋषिकेश जिला देहरादून हाल निवासी गांव
देवबपुर काजी पोस्ट मंडावर रूरल जिला बिजनौर ने विक्रय धन मुबलिग रु0
1,182,000.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन
केवा श्री प्रभात मिश्रा पुत्र श्री ओमशंकर मिश्रा निवासी एम- ७३/२ फेस-३ शिवलोक
कॉलोनी हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार ने भी स्वीकार किया।

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री बनारसी लाल निवासी ए-४६
शिवलोकनगर भेल रानीपुर हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार तथा श्री प्रशांत मिश्रा
पुत्र श्री स्व. श्री ओम शंकर निवासी एम- ७३/२ फेस-३ शिवलोक कॉलोनी भेल रानीपुर
हरिद्वार ने की।



Blamase
उपनिबन्धक

हरिद्वार, प्रथम
02-May-2018

विदित हो कि निम्नलिखित भूमि जिसका मैं विक्रेता बाबूराम पुत्र श्री सुखन सिंह निवासी शान्ति नगर, ऋषिकेश, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) हाल निवासी गाँव तैय्यबपुर काजी पोस्ट मंडावर रुरल जिला बिजौरी का स्वामी व अधिकारी हूँ तथा निम्नवर्णित सम्पत्ति मुझ विक्रेता ने द्वारा विक्रय पत्र तहरीर तारीख 08.11.2012 व प्रमाणित 29.11.2012 जिसकी रजि० बही नं०-1 जिल्द 2449 पृष्ठ 303-326 द०न०-8968 पर कार्यालय स०र० हरिद्वार में दर्ज है। जो कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा मु०आम राकेश कुमार पुत्र श्री छांगाराम जिसकी रजि० बही न० 6 जिल्द 1 पृष्ठ 71/78 द०न० 3 दिनांकित 13.12.2011 स०र० हरिद्वार में दर्ज है। और विक्रेता को निम्न सम्पत्ति को विक्रय आदि करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। निम्न भूमि आज तक के हर प्रकार के ऋण परिवर्तन आदि के भार से शुद्ध एवं मुक्त है, कहीं पर आड़ रहन या बंधक नहीं है। और निम्न भूमि को बंधक करके कोई ऋण आदि किसी महकमें, बैंक, कम्पनी, सोसाईटी आदि से लिया हुआ नहीं है मैं विक्रेता निम्न भूमि को विक्रय करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। अब विक्रेता ने अपनी निम्न भूमि को अपनी स्वस्थ इन्द्रियों तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से मय हर प्रकार के स्वत्व व अधिकारों के बदले मुब० 11,82,000/- ग्यारह लाख बयासी हजार रुपये में हाथ श्री प्रभात मिश्रा पुत्र श्री ओमशंकर मिश्रा निवासी एम-73/2 फेस-3 शिवलोक कालोनी हरिद्वार परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार को विक्रय व हस्तान्तरित कर दी है। कब्जा मौके पर निम्न विक्रीत भूमि पर क्रेता का करा दिया है। वह उसमें अपने लाभ के लिए कोई भी कार्य करे, विक्रय आदि करे निर्माण आदि करे और लाभ उठावे। अब मैं प्रतिज्ञा करता और लिखे देता हूँ कि आज से विक्रेता व उनके उत्तराधिकारियों का निम्न विक्रीत भूमि के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं रहा है और न भविष्य में होगा यदि भविष्य में विक्रेता के किसी स्वत्व या कानूनी त्रुटि के कारण या किसी के वाद-विवाद के कारण निम्न विक्रीत भूमि या उसका कोई अंश कब्जा व दखल क्रेता के अधिकार से निकल जावे या उसे कोई भार चुकाना पड़े या कब्जा आदि में कोई रुकावट उत्पन्न हो तो ऐसी हर एक अवस्था में क्रेतागण को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल मूल्य राशि मय सूद वैधानिक विक्रेता की हर प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति व जात खास व जायदाद से जिस प्रकार चाहे द्वारा न्यायालय वसूल कर ले। विक्रेता व उनके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रेता प्रत्येक कानूनी जिम्मेदारियों का जिम्मेदार है जो कानूनन एक विक्रेता पर आयद होती है। निम्न भूमि से सम्बन्धित कोई वाद-विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। निम्न भूमि किसी धार्मिक संस्था या ट्रस्ट की नहीं है।

मि०
बाबूराम

मि०

विक्रेता व क्रेता के मध्य निम्न भूमि की बाबत एक इकरारनामा दिनांक 13.10.2014 को बही नं०- 1 जिल्द 3188 पृष्ठ 1-16 द०न० 7837 पर स०र० कार्यालय हरिद्वार में हुआ है। और विक्रेता दाखिल खारिज कराने में क्रेता का पूरा-पूरा सहयोग करेगी। क्रेता, विक्रेता विदेशी/भारतीयमूल के विदेशी नागरिक नहीं है तथा चीन पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, एवं नेपाल के नागरिक नहीं है। क्रेता व उनके परिवार के पास उत्तराखण्ड में 12.09.2003ई० से पूर्व कोई भूमि नहीं है उक्त भूमि भू० अधिनियम संख्या 154-1-4-क के अन्तर्गत अधिकतम 250 वर्गमीटर की भूमि की परिधी में आवासीय परियोजन हेतु क्रय की गयी है। विक्रय की गयी सम्पत्ति गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट मिक्सड डवलपमेंट प्रोजेक्ट एवं प्लॉटेड डवलपमेंट प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है। उक्त विक्रयपत्र के द्वारा 500 वर्गमीटर से कम सम्पत्ति विक्रय की जा रही है। तथा रेरा (RERA-2016) के अन्तर्गत नहीं है। यह दस्तावेज विक्रेता एवं क्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये कामजात, मालिकाना अधिकार व अन्य पहचान पत्रों के आधार पर अधिवक्ता/दस्तावेज लेखक द्वारा लिखा गया है। जिनका सत्यापन दस्तावेज पर हस्ताक्षरित साक्ष्यो द्वारा किया गया है। यदि उपलब्ध कराये तथ्य, प्रमाण एवं साक्षीगण किसी प्रकार से असत्य पाये जाते हैं, तो उसका उत्तरदायित्व लेखक/टाईपकर्ता का नहीं होगा।

37

विवरण सम्पत्ति:- जो कि एम०/बी० श्रेणी के अन्तर्गत एक प्लॉट स० 66 जिसकी पैमाईश पूरब 15.00 मीटर व पश्चिम 15.00 मीटर उत्तर 6.00 मीटर दक्षिण 6.00 मीटर जिसका कुल क्षेत्रफल 90.00 वर्गमीटर है। जिसके पूरब में भूखण्ड सं० 65 व पश्चिम में भूखण्ड सं० 67 व उत्तर में भूमि सिडकुल व दक्षिण में सडक 9 मीटर चौड़ी है। जिसका खसरा नं० 800, 800म, 810म, 812, 813म, 814, 815, 879म, राजस्व ग्राम रावली महदूद परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार व खसरा नं०-20, 21, 22म, 24म, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40म, 41म, 43म, 44, 45, 46, 50म, 51, 52, 53, 54, 55म, 60, 61, 62म, राजस्व ग्राम रोनीपुर बाहर हदूद परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार है।

सिडकुल
राजस्व

राजस्व

विवरण प्राप्त मूल्य राशि- मुझ विक्रेता ने क्रेता से कुल मूल्य राशि मुब0 11,82,000/- ग्यारह लाख बयासी हजार रुपये में से मु0 80,000/- रुपये द्वारा चैक नं0 779825 दिनांक-02.05.2018 शाखा पी0एन0बी0 सिडकुल हरिद्वार व मु0 80,000/- रुपये द्वारा चैक नं0 779826 दिनांक- 05.05.2018 शाखा पी0एन0बी0 सिडकुल हरिद्वार व मु0 72,000/- रुपये द्वारा चैक नं0 779827 दिनांक- 10.05.2018 शाखा पी0एन0बी0 सिडकुल हरिद्वार व मु0 9,50,000/- रुपये समय इकरारनामा दिनांक 13.10.2014 को नगद प्राप्त कर लिये है। अब कोई मूल्य राशि बजिम्मे क्रेता की ओर शेष नहीं रही है और न भविष्य में होगी।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स
विक्रेता के बायें हाथ के अंगुलियों के निशान

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका



दायें हाथ की अंगुलियों के निशान

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका



Signature

क्रोता के बायें हाथ के अंगुलियों के निशान
अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका



दायें हाथ की अंगुलियों के निशान
अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठका



अतः :- यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।
तहरीर तारीख :- 28/04/2018

ह0-



ह0-

सा0- *prashant*

सा0- *नीशाम*

सतीश कुमार S/O बन्ना लाल
R/O A-46 शिवपुरी जमनाल
शिवपुरी जमनाल

फोन - 974363563030

प्रशान्त सिन्हा S/O S/O श्री श्री
अंकित सिन्हा - सफ - 73/2 फेस-3
शिवपुरी जमनाल
216272 976436

टाईपकर्ता

रचयिता-

Navneet K. Chauhan
NAVNEET KR. CHAUHAN
Advocate
Regd.No.-UK537/2009
Tehsil Campus, Haridwar



भारत सरकार
Government of India



प्रधात मिश्रा
PRADHAT MISHRA
जन्म तिथि: 22/06/1983
पुरुष/ MALE

6530 1647 3698

मेरा आधार, मेरी पहचान



Handwritten signature



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Address:

S/O Omshankar Mishra, H.No-M-
73/2, Phase-3, Shivlok Colony,
Ranipur, Bhagat Singh Chowk,
Hardwar, Haridwar,
Uttarakhand - 249403

पता:

S/O ओमशंकर मिश्रा, एच.नं.एम-
73, शिवलोक कॉलोनी, रानीपुर, भगत सिंह चौक,
हरिद्वार, हरिद्वार,
उत्तराखंड - 249403

6530 1647 3698






भारत सरकार
Government of India

बाबु राम
Babu Ram

जन्म तिथि/ DOB: 02/03/1955
पुरुष / MALE



7580 7691 7156

मेरा आधार चेरी पहचान

पि.डी.
वाइ.एम.



भारतीय विविध पहचान प्रमाणिका
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O सुखान, गाँव तैय्याबपुर काजी
(बिरवाला), पोस्ट मंडावर, मंडावर
खेत, बिजनौर,
उत्तर प्रदेश - 246721

Address:
S/O Sukkhan, village taiyyabpur
kazi (birwala), post mandawar
Mandawar (Rural), Bijnor,
Uttar Pradesh - 246721

7580 7691 7156



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

वही संख्या 1 जिल्द 4,398 के पृष्ठ 347 से 372 पर क्रमांक 2785

पर आज दिनांक 02 May 2018 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

Bla...
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, हरिद्वार, प्रथम
02 May 2018

